23/3/24 वकुलाय उप./
अधि. अप्रार्थी सं. 1, 1/2, 2 से 8, 8ए, 9 की ओर से जवाब पेश करने का समय चाहा है पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है आवश्यक रूप से पेश करें। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 6/5/24 को पेश हो।

6/5/24 वकुलाय उपस्थित।
आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी मुल्तवी होकर पत्रावली दिनांक 26/7/24 को पेश हो।

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

26/7/24 अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष उप.।
अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उप.। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहते है जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर समाप्त कर जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आयन्दा दिनांक 27/7/24 को पेश हो।

SDO Sojat

वकुलाय उप.
27/7/24 बहस वकुलाय प्रार्थना पत्र 212 R.T. Act 1958 सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि सोजत चक प्रथम के ख.नं. 4845, 4846, 4848 से 4850, 4581, 4878 4880, 4881, 4883, 4884, 4871, 4882, 4885, 4886 5224, 5226, 5227, 5228 कृषि भूमि स्थित है जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज थे। प्रार्थी के पिता वृद्ध अनपढ थे, अप्रार्थीगण के पूर्वज कुम्भाराम, धीमाराम, सोहनलाल, व पुरखाराम सभी बालुराम जी की संतान है तथा पारिवारिक सदस्य है। कुम्भाराम, धीमाराम एवं सोहनलाल ने लोभ व लालच के कारण विधि विरुद्ध तरीके से प्रार्थी

संख्या 1 से 9 के पूर्वजो के द्वारा गलत रूप से इन्द्राजी करवाकर मौके पर प्रार्थीगण के पिता व दादा पुखराम जी का खसरा संख्या 4546 में 0.0300 हेक्टर में से 0.0100 हेक्टर पर कब्जा होते हुये भी तथा ख.न. 5226 रकबा 0.0700 हेक्टर सम्पूर्ण पर कब्जा होते हुये भी अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के पूर्वज तुलछाराम एवं मोमाराम के नाम खातेदारी दर्ज करवा दी। वर्तमान में अप्रार्थीगण उक्त भूमि का बेचान - हस्तान्तरण करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसके प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से सरहद मौजा ग्राम खेजड़ पक्ष प्रथम के ख.न. 4546 रकबा 0.0300 हेक्टर में नजरी नक्शा के मुताबिक रकबा 0.0100 हेक्टर तथा ख.न. 5226 रकबा 0.0700 है में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व बेचान - हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की इस्तदुआ की है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सके। लिखित बयान में अपने तथ्य पेश करने हेतु निवेदन किया। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर समाप्त कर जवाब बन्द किया जाता है।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की काश्त की भूमि का बेचान कर उन्हें बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण 1 से 9 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। जवाब नहीं है इसके प्रति अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण किसी प्रकार का बेचान, हस्तान्तरण नहीं करना चाहते है नाहि प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने की इस्तदुआ की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेज मय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म जारी
	दस्तावेज का अध्ययन कर लिया कुल पत्रावली का मनन किया गया। दरअसल प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में मामला साबित होता है यदि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि का विक्रय कर देते हैं तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी विधि सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।	
	आदेश	
	अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा पेश प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212का स्वीकार किया जाता है। तदनुसार निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी के इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण तनाजा मौजा ग्राम लोहारडा के प्रथम के ख.न. 4846 रकबा 0.0300 हे. में से ख.न. 5226 रकबा 0.0700 0.0100 हे भूमि तनाजा भूमि को बाद निर्णय तक बेचान नहीं करेंगे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करेंगे। पत्रावली उपर कुमार रीडर/अहलमद से ... हो। बाद तामील जाब्ता शामिल/दाखिल दफ्तर किया जावे।	
	[signature] Ae Sorat	
	निर्णय आज दिनांक 27/7/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।	
	[signature] Ae Sorat	